प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

अध्याय-1 एवं अध्याय-2 में राज्य सरकार के 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के क्रमश: वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न प्रकरणों पर की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं। आवश्यकतानुसार राज्य सरकार से भी सूचना प्राप्त की गयी है।

अध्याय-3 वित्तीय प्रतिवेदन पर चालू वर्ष के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन से संबन्धित सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा व लेन - देनों की लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं राजस्व प्राप्तियों पर अभियुक्तियों को पृथक से प्रस्तुत किया गया है।